संख्या–650 / xvi / 05 / 7(32) / 05

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 14 जून,2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–85 / 1–1 (102) / 2005–06 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 आयोजनागत योजनाओं के कियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित रूपये 25861हजार(रूपये दो करोड़ अठ्ठावन लाख इक्सठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

1–इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2–उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–527–A / XXVII(1) / 2005 / दिनांक 26.अप्रैल 2005 में दिये गये निर्देशो, शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3–किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्य प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4–अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5–निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशो के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद की धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके तीन किस्तों में पूर्व स्वीकृत किस्त का पूर्ण उपयोग होने के बाद ही अनुवर्ती किस्त का आहरण किया जायेगा। इस धनराशि का दिनांक 31/3/2006 तक मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9-यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जनजाति क्षेत्र योजना(T.S.P) हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों में अथवा जनजाति के लाभार्थियों हेतु ही किया जाय।

10-जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत जनजाति उपयोगिता(T.S.P) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का जिलेवार आवंटन जनपदों में जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाय। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाय जिससे कार्यक्रम कियान्वयन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।

11-व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।

12-जडी बूटी शोध संस्थान हेतु प्राक्कलनित धनराशि ही निदेशक जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर(चमोली) को उपलब्ध कराई जाय।

13-अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31/3/2006 तक सुनिश्चित कर लिया जाय तथा व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

14-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसले कृषि कर्म-00-आयोजनागत 796-जनजाति उपक्षेत्र योजना के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जावेगा।

15-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-263/वित्त अनु0-2/2005/दिनांक 9/6/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव।

संख्या-650/XVI/05/7(32)/05/तददिनांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2-वित्त अनुभाग-2,उत्तरांचल शासन।
3-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4-निदेशक,जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर(चमोली)
5-बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय।
6-गार्ड फाईल।
7-सूचना केन्द्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव

अनुदान सं0 31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म 00– आयोजनागत, 796– जनजाति क्षेत्र उपयोजना,00– अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण

धनराशि हजार रू0 में

क्र.सं.	योजना का नाम/ मद का नाम	प्राविधान 2005–06	स्वीकृत की जा रही धनराशि2005–06
1	2	3	4
	राज्य सैक्टर–		
	अनुदान सं0 31		
	2401 फसल कृषि कर्म 00– आयोजनागत,		
	796– जनजाति क्षेत्र उपयोजना,		
	00–		
	03–उत्तरांचल में जनजाति क्षेत्रो/ व्यक्तिगत उद्यानों का औद्यानिक विकास		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	6000	6000
2	04– राजकीय उद्यानो का सुदृढीकरण		
	02–मजदूरी	800	800
	08–कार्यालय व्यय	100	100
	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	100	100
	15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि	100	100
	18–प्रकाशन	40	40
	24–वृहद निर्माण कार्य	1700	–
	25–लघु निर्माण कार्य	480	480
	26– मशीने और सज्जा उपकरण और संयंत्र	480	480
	29–अनुरक्षण	300	300
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	5800	5800
	42–अन्य व्यय	300	300
	योग:–	10000	8300
3	19–जडी बूटी शोध संस्थान को अनुदान		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	10000	10000
4	06–मधुमक्खी पालन		
	42–अन्य व्यय	400	400
5	20–मशाला विकास की योजना		
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	100	100
6	21–सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन का विकास		
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	500	500
	योग राज्य सैक्टर:–	27000	25300

	जिला सैक्टर–		
7	14 फल/ सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	200	69
8	15 उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन एवं पौधालय		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1000	492
	योग जिला सैक्टर	1200	581
	कुल योग जिला + राज्य सैक्टर :–	28200	25961

(दो करोड़ अट्ठावन लाख इकसठ हजार रूपये मात्र)

13.6.05

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव